उत्तर izns'k सहकारी ग्राम विकास बैंकलि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ

परिपत्र संख्या– सी–99/लेखा/16–17 दिनांक 24.12.2016

समस्त शाखा प्रबंधक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि वर्ष 2016–17 के माहवार वसूली लक्ष्य के सापेक्ष शाखाओं द्वारा की गयी वास्तविक वसूली अत्यन्त न्यून है । दिनांक 30.11.2016 तक बैंक के कुल क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 22.35 प्रतिशत की वसूली हुई है,जो बैंक प्रबंधन के लिये अत्यन्त चिंता का विषय है।

आप अवगत होगें कि बैंक द्वारा नाबार्ड के समयबद्ध पुनर्भुगतान एवं उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे संस्थापन व्ययों यथा–वेतनादि एवं सेवा नैवृत्तिक देयों का समय पर भुगतान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस बढ़ती वित्तीय आवश्यकता के सापेक्ष प्रधान कार्यालय पर धन के आवक की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। बैंक अपने समस्त व्ययों को वहन करने हेतु ऋणों की वसूली से प्राप्त धनराशि पर ही निर्भर है। लक्ष्य के अनुरूप वसूली न होने की स्थिति में बैंक अपने व्ययों को वहन कर पाने की स्थिति में नहीं होगा। वसूली एवं वसूल की गयी धनराशि के प्रेषण की स्थिति यही रही तो संभव है कि जनवरी–2017 में नाबार्ड की देयताओं तथा सेवारत/सेवा–निवृत्त बैंक कर्मियों के देयों के भुगतान में बैंक सक्षम न हो। यह स्थिति समस्त बैंक परिवार के लिये अत्यंत कष्टकारी हो सकती है। ऐसी स्थिति में एक मात्र विकल्प यह है कि प्रत्येक शाखा मासिक वसूली लक्ष्यों की शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करें। अन्यथा बैंक की तरलता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्याः सी–60/लेखा/2016–17 दिनांक 31.08.2016 को स्थगित करते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक शाखा द्वारा मासिक वसूली के लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करते हुए पूर्व निर्धारित धनराशि की सीमा 40 प्रतिशत के स्थान पर प्रधान कार्यालय के 80 प्रतिशत धनराशि भेजी जाएगी। अवशेष 20 प्रतिशत धनराशि का उपयोग ऋण वितरण, प्रबन्धकीय व्यय व अन्य व्ययों में किया जाएगा। यह निर्देश दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी होगें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

ह0/–
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

<u>प्रतिलिपि :निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. समस्त मण्डलीय/जनपदीय पर्यवेक्षकगण,उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैक लि0,प्र0का0–लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि शाखाओं द्वारा की जाने वाली वसूली की निरन्तर समीक्षा करते हुये उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा निर्देशों का उल्लघंन करने वाले शाखा प्रबघंकों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही हेतु प्रशासन को संदर्भित करें। तद्नुसार ही आगामी समीक्षा बैठकों में आप द्वारा स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की जायेगी।
2. प्राचार्य,(प्रशिक्षण),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रशिक्षण केन्द्र–लखनऊ।
3. समस्त अधिकारी, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ।
4. उप महाप्रबंधक(आई0टी0सेल),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय लखनऊ को शाखाओं को ई–मेंल करने हेतु।

ह0/–
(ए0के0शुक्ला)
महाप्रबंधक